शासितों की सेवा करने के लिए: शासकीय गुप्त बात अधिनियम

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था)

द हिन्दू

लेखक- फली एस. नरीमन (एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता)

13 मार्च, 2019

"शासकीय गुप्त बात अधिनियम का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, जैसा कि 1970 के दशक के अंत में गोस्वामी आयोग ने सुझाव दिया था।"

सूचना का उपयोग और प्रचार करने की संवैधानिक स्वतंत्रता शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों से सीधे प्रभावित होती है, जैसा कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1920 के बाद से अधिकांश ब्रिटिश भारत अधिनियमों के साथ था। यह तब काफी सख्त था, लेकिन 'आजाद भारत' में आजादी के बाद हमने इसमें संशोधन किया और 1967 में धारा 5 (गलत संचार इत्यादि, सूचना का विस्तार) और धारा 8 के दायरे को बढ़ाते हुए (अपराध के रूप में जानकारी देना)? इसे और अधिक कठोर बना दिया।

अक्सर होता है दुरुपयोग

जब भी मैं (लेखक)शासकीय गुप्त) बात अधिनियम, 1923 के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लाल किले पर होने वाले साउंड एंड लाइट शो का एक दृश्य याद आता है, जो लगभग हर शाम को होता है, जहां भारतीय इतिहास के 100 साल को शानदार ढंग से एक घंटे के शो में समझाया जाता है। इसमें बादशाह औरंगजेब (जिसने 60 साल तक राज किया) अपने दरबारियों से पूछता है कि 'यह शोर क्या है, जो हमें बाहर से परेशान कर रहा है?' और दरबारियों का जवाब रहता है कि 'महामहिम, यह संगीत है।' जिसके बाद औरंगजेब कहता है कि 'फिर इसे पृथ्वी के गहराई में दफना दिया जाये।'

मैंने हमेशा सोचा कि ऐसी किस्मत शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की होनी चाहिए थी, जिसका इतनी बार दुरुपयोग किया गया है कि भारत को आजादी मिलने के बाद इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। वास्तव में जब जनता सरकार जो आंतरिक आपातकाल के अंत में सत्ता में आई थी और दूसरे प्रेस आयोग की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता एक महान और अच्छे न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गोस्वामी ने की थी।

लाल कृष्ण आडवाणी, जो तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ने मुझसे (लेखक) आयोग का सदस्य बनने का अनुरोध किया था और मैं सहमत हो गया था। आयोग कई महीनों तक ईमानदारी से आगे बढ़ा, और आखिरकार, जब दिसंबर 1979 में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई, तो इस रिपोर्ट ने वर्तमान सरकार को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को तुरंत निरस्त करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। इंदिरा गांधी, जो जनवरी 1980 में सत्ता में वापस आई, ने सदस्यों को हमारे विचार-विमर्श के लिए धन्यवाद का एक विनम्र पत्र लिखा और तुरंत न्यायमूर्ति गोस्वामी आयोग को भंग कर दिया। यह अब अधिकारिक तौर पर ज्ञात दूसरे प्रेस आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू ने की थी।

गोस्वामी आयोग और उसके सभी विचार-विमर्श को कलम के एक झटके से खत्म कर दिया गया था। यदि श्रीमती गांधी कुछ महीने बाद सत्ता में लौटी होती और हमारी रिपोर्ट को पिछली सरकार ने स्वीकार कर लिया होता, तो राफेल सौदे पर चिंता शायद भारत के अटॉर्नी जनरल को परेशान नहीं कर रही होती। अधिकारिक द्वितीय प्रेस आयोग (मैथ्यू कमीशन) ने 1923 के शासकीय गुप्त बात अधिनियम को निरस्त करने की अनुशंसा नहीं की।

चैंपियन के रूप में प्रेस

चूंकि मैं (लेखक) अभी भी प्रेस (और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में मानता हूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रेस को शासितों की सेवा करनी चाहिए न कि उन लोगों की जो शासन करते हैं। अपने प्रसिद्ध गेट्सबर्ग पते में, अब्राहम लिंकन ने 'लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए' के रूप में सुशासन का वर्णन किया था।

सदियों बाद हम 'का' को समझते हैं और 'द्वारा' को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम 'के लिए' को भूल जाते हैं। यदि सरकार वास्तव में लोगों के लिए है, तो लोगों को अच्छी तरह से जानकारी प्रदान करना भी उनका ही दायित्व है।

सौभाग्य से, आज की दुनिया में आधुनिक प्रवृत्ति कम गोपनीयता और अधिक जानकारी की ओर है। 1966 में वापस संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) पर अंतर्राष्ट्रीय नियम, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, जिसे हर तरह की 'सूचनाओं और विचारों की तलाश, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता' के रूप में परिभाषित किया गया है।

जनता सरकार ने 1979 में इस नियम पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की, लेकिन बाद की सरकारों में से कोई भी इसके आदर्शों पर खरी नहीं उतरी। हमने अपने 1950 के संविधान में अनुच्छेद 19 (1) (ए) को बेहद सीमित प्रतिबंधों के साथ लागू किया है - अनुच्छेद 19 (2) में - लेकिन फिर से यह केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिखावा था।

GS World टीम...

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में राफेल क्रय के मामले की सुनवाई के समय भारत के महान्यायवादी ने अनुरोध किया है कि जिन्होंने सरकारी दस्तावेज चुराए हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाए।
- उनके इस अनुरोध से एक बार फिर देश के पुराना अधिनियम -शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1904- चर्चा में आ गया है।

क्या है?

- यह अधिनियम सरकारी कामकाज में, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्त सूचनाओं के विषय में, गोपनीयता बनाए रखने के लिए पारित हुआ था।
- यह अधिनियम 1904 में पारित हुआ था जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था (1899-1905)।
- इस अधिनियम को मुख्यत: इसलिए लाया गया था कि राष्ट्रवादी प्रकाशनों के स्वर को दबाया जा सके।
- 1904 के अधिनियम के स्थान पर 1923 में एक नया अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम था- शासकीय गुप्त बात अधिनियम।
- इस अधिनियम के द्वारा गोपनीयता का दायरा बढ़ाकर उसके अंदर प्रशासन से सम्बंधित सभी गुप्त मामलों को शामिल कर लिया गया था।

समीक्षा की आवश्यकता क्यों?

- पुराने अधिनियम में गोपनीय सूचना का वर्गीकरण इतना विस्तृत है कि बहुत जगहों पर यह सूचना अधिकार अधिनियम से टकराता दिखता है।
- इसके अनुभाग 5 में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति सूचना देगा और जो व्यक्ति सूचना लेगा, दोनों को दण्डित किया जा सकता है।
- सार्क (SAARC) के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह अधि नियम उस उपनिवेशवाद के एक विरासत के रूप में है जिसमें लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता था और सरकारी कर्मचारियों को महत्त्व दिया जाता था।
- इस औपनिवेशिक अधिनियम के अनुभाग 5 में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में संभावित उल्लंघनों की चर्चा है जिसको लेकर अलग-अलग मत रहे हैं। इस अनुभाग में शत्रु देश को सहायता पहुँचाने वाली सूचना के आदान-प्रदान को दंण्डणीय बनाया गया है।
- इसका प्रयोग कर पत्रकारों को सरलता से इस आरोप पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि उन्होंने ऐसी सूचना छाप दी है जिससे सरकार अथवा सैन्य बलों को परेशानी हो सकती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह अधिनियम लॉर्ड मिण्टो के कार्यकाल में पारित हुआ था।
2. यह अधिनियम सरकारी कामकाज में मुख्यत: राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्त सूचनाओं के विषय में गोपनीयता बनाए रखने के लिए पारित हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements regarding the Indian Government Secret Act, 1923-

1. This act was passed during the tenure of Lord Minto.
2. This act was passed to maintain confidentiality in the official functioning especially regarding national security and secret information.

Which of the following statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में राफेल से संबंधित दस्तावेजों के चोरी होने के कारण भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 चर्चा में आ गया है। इस अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की समीक्षा कीजिए।

Q. Recently Indian Official Secrets Act, 1923 came into discussion due to the theft of documents related to Rafale. Critically analyse the provisions of this act.

(250 Words)

नोट : 12 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।